



उत्तरांचल विधान सभा

उत्तरांचल विधान सभा की कार्यसूची

बुधवार 22 ज्येष्ठ, शक संवत्, 1924
(दिनांक : 12 जून, 2002)

समय : 11:00 बजे पूर्वाह्न

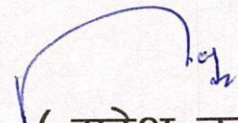
1. अल्प सूचित प्रश्न (देखिये नत्थी “क”)
2. अन्य प्रश्न (देखिये नत्थी “ख”)
3. सदस्यों की गिरफ्तारी, निरुद्धीकरण व रिहाई की सूचनायें, यदि कोई हों।
4. श्री नारायण राम आर्य, सदस्य विधान सभा, जनपद पिथौरागढ़ के गंगोलीहाट-पच्चाधार-चौरपाल मोटर मार्ग के निर्माण किये जाने के संबंध में श्री केशर सिंह एवं अन्य निवासीगण जनपद पिथौरागढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
5. विशेषाधिकार के प्रश्न, यदि कोई हों।
6. मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य, यदि कोई हों।
7. कार्य-स्थगन का प्रस्ताव, यदि कोई हो।
8. समाज कल्याण मंत्री यह प्रस्ताव करेंगे कि अल्प संख्यक आयोग विधेयक, 2002 पर विचार किया जाय।
9. समाज कल्याण मंत्री यह प्रस्ताव करेंगे कि अल्प संख्यक आयोग विधेयक, 2002 पारित किया जाय।
10. वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय-व्यय की मांगों पर चर्चा एवं मतदान:-
 - 1- कृषि मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-17, कृषि, कर्म एवं अनुसंधान विभाग के अन्तर्गत होने वाले परियोजनाओं को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 1868932 हजार (एक सौ छियासी करोड़ नवासी लाख बत्तीस हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।
(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी “ग”)

- 2- संसदीय कार्य मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-1, विधान सभा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परियोजनाओं को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 42768 हजार (चार करोड़ सत्ताईस लाख अड़सठ हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।
(विवाद नहीं होगा)
- 3- संसदीय कार्य मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-3, मंत्रि-परिषद् विभाग के अन्तर्गत होने वाले परियोजनाओं को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 34524 हजार (तीन करोड़ पैंतालीस लाख चौबीस हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।
(विवाद नहीं होगा)
- 4- संसदीय कार्य मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-14, सूचना विभाग के अन्तर्गत होने वाले परियोजनाओं को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 71906 हजार (सात करोड़ उन्नीस लाख छः हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।
(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी "घ")
- 5- लोक निर्माण मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-22, लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परियोजनाओं को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 4358389 हजार (चार सौ पैंतीस करोड़ तिरासी लाख नवासी हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।
(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी "ङ")
- 6- ग्राम्य विकास एवं पेयजल मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-13, जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परियोजनाओं को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 2164261 हजार (दो सौ सोलह करोड़ बयालीस लाख इकसठ हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।
(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी "च")

- 7- ग्राम्य विकास मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-19, ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परियोजनाओं को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 1456621 हजार (एक सौ पैतालीस करोड़ छियासठ लाख इक्कीस हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।
(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी "छ")
- 8- सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-20, सिंचाई तथा बाढ़ विभाग के अन्तर्गत होने वाले परियोजनाओं को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 1488299 हजार (एक सौ अड़तालीस करोड़ बयासी लाख निनाब्बे हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।
(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी "ज")
11. नियम 103 के अन्तर्गत श्री नारायण पाल, सदस्य विधान सभा द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण:-
“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उधम सिंह नगर की ग्राम सभा गिधोर, देवीपुर, आस्ता, विही, चैतुअखेड़ा, ज्ञानपुर गौड़ी, कालाबूथ, पीराडांया, पीलापानी जाने वाली सड़क तथा इससे संबंधित पुलिया का निर्माण कराया जाय।”
12. नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं, यदि कोई हों।
13. उधम सिंह नगर के जसपुर विधान सभा में 2000 के0एल0 की 1987 से स्वीकृत हुई पेयजल योजना आज तक शुरू न हो पाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 10 जून, 2002 को नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर, पेयजल मंत्री का केवल वक्तव्य।
14. पंजीकृत आयुर्वेदिक एवं यूनानी फार्मासिस्टों की 10 वर्ष आयु सीमा में शिथिलता देते हुए 550 पदों को पूरित किये जाने की विज्ञप्ति उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निकाली गई थी, किन्तु उत्तरांचल के अस्तित्व में आने पर उक्त पदों के पात्रों का पद से वंचित रहने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री बलबीर सिंह नेगी, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 10 जून, 2002 को दी गई सूचना पर चिकित्सा, शिक्षा मंत्री का नियम-51 के अन्तर्गत वक्तव्य।

देहरादून
दिनांक : 12 जून, 2002

आज्ञा से,


(महेश चन्द्र)
सचिव।

नत्थी (ग)

वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक की धनराशि में कमी करने के प्रस्ताव

अनुदान संख्या : 17-कृषि कार्य एवं अनुसंधान विभाग

लेखा शीर्षक-(2401-फसल कृषि कर्म, 2402-मृदा तथा जल संरक्षण, 2415-कृषि अनुसंधान, 4401-फसल कृषि कर्म पर पूँजीगत परिव्यय, 6401-फसल कृषि कर्म के लिए कर्ज)

प्रस्तावक का नाम

1. श्री भगत सिंह कोश्यारी
2. श्री प्रकाश पंत
3. श्री अजय भट्ट
4. श्री मातबर सिंह कण्डारी
5. श्री बिशन सिंह चुफाल
6. श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत
7. श्री मदन कौशिक
8. श्री हरभजन सिंह चीमा
9. श्री मालचन्द्र
10. श्री कैलाश शर्मा
11. श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट
12. श्रीमती विजय बड़वाल
13. श्री गोविन्द लाल शाह
14. श्रीमती आशा नौटियाल
15. श्री काजी निजामुद्दीन

प्रस्ताव का प्रारूप

सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

नत्थी (घ)

वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक की धनराशि में कमी करने के प्रस्ताव

अनुदान संख्या : 14-सूचना विभाग

लेखा शीर्षक-(2220-सूचना तथा प्रचार)

प्रस्तावक का नाम

1. श्री भगत सिंह कोश्यारी
2. श्री प्रकाश पंत
3. श्री अजय भट्ट
4. श्री मातबर सिंह कण्डारी
5. श्री बिशन सिंह चुफाल
6. श्री मदन कौशिक
7. श्री हरभजन सिंह चीमा
8. श्री मालचन्द्र
9. श्री कैलाश शर्मा
10. श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट
11. श्रीमती विजय बड़वाल
12. श्री गोविन्द लाल शाह
13. श्रीमती आशा नौटियाल
14. श्री काजी निजामुद्दीन
15. श्री काशी सिंह ऐरी
16. श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी
17. श्री नारायण सिंह जंतवाल

प्रस्ताव का प्रारूप

सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

नत्थी (ङ)

वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक की धनराशि में कमी करने के प्रस्ताव

अनुदान संख्या : 22-लोक निर्माण विभाग

लेखा शीर्षक-(2059-लोक निर्माण कार्य, 2216-आवास, 3054-सड़क तथा सेतु, 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय, 4216-आवास पर पूँजीगत परिव्यय, 5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय, 6216-आवास के लिए कर्ज)

प्रस्तावक का नाम

1. श्री भगत सिंह कोश्यारी
2. श्री प्रकाश पंत
3. श्री अजय भट्ट
4. श्री मातबर सिंह कण्डारी
5. श्री बिशन सिंह चुफाल
6. श्री मदन कौशिक
7. श्री सुरेश चन्द जैन
8. श्री हरभजन सिंह चीमा
9. श्री मालचन्द्र
10. श्री कैलाश शर्मा
11. श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट
12. श्रीमती विजय बड़वाल
13. श्री गोविन्द लाल शाह
14. श्रीमती आशा नौटियाल
15. श्री काजी निजामुद्दीन
16. श्री काशी सिंह ऐरी
17. श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी
18. श्री नारायण सिंह जंतवाल

प्रस्ताव का प्रारूप

सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना

नत्थी (च)

वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक की धनराशि में कमी करने के प्रस्ताव

अनुदान संख्या : 13-जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास विभाग

लेखा शीर्षक-(2215-जल पूर्ति तथा सफाई, 2217-शहरी विकास, 6215-जल पूर्ति तथा सफाई के लिए कर्ज, 6217-शहरी विकास के लिए कर्ज)

प्रस्तावक का नाम

1. श्री भगत सिंह कोश्यारी
2. श्री प्रकाश पंत
3. श्री अजय भट्ट
4. श्री मातबर सिंह कण्डारी
5. श्री बिशन सिंह चुफाल
6. श्री मदन कौशिक
7. श्री सुरेश चन्द जैन
8. श्री हरभजन सिंह चीमा
9. श्री मालचन्द्र
10. श्री कैलाश शर्मा
11. श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट
12. श्रीमती विजय बड़वाल
13. श्री गोविन्द लाल शाह
14. श्रीमती आशा नौटियाल
15. श्री काजी निजामुद्दीन
16. श्री काशी सिंह ऐरी
17. श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी
18. श्री नारायण सिंह जंतवाल

प्रस्ताव का प्रारूप

सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना

नत्थी (छ)

वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक की धनराशि में कमी करने के प्रस्ताव

अनुदान संख्या : 19-ग्राम्य विकास विभाग

लेखा शीर्षक-(2501-ग्राम्य विकास के लिए विशेष कार्यक्रम, 2505-ग्राम रोजगार, 2506-भूमि सुधार, 2515-अन्य विकास कार्यक्रम, 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय, 6515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों के लिए कर्ज)

प्रस्तावक का नाम

प्रस्ताव का प्रारूप

1. श्री भगत सिंह कोश्यारी
2. श्री प्रकाश पंत
3. श्री अजय भट्ट
4. श्री मातबर सिंह कण्डारी
5. श्री बिशन सिंह चुफाल
6. श्री मदन कौशिक
7. श्री हरभजन सिंह चीमा
8. श्री मालचन्द्र
9. श्री कैलाश शर्मा
10. श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट
11. श्रीमती विजय बड़थवाल
12. श्री गोविन्द लाल शाह
13. श्रीमती आशा नौटियाल
14. श्री काजी निजामुद्दीन
15. श्री काशी सिंह ऐरी
16. श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी
17. श्री नारायण सिंह जंतवाल

सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना

नत्थी (ज)

वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक की धनराशि में कमी करने के प्रस्ताव

अनुदान संख्या : 20-सिंचाई तथा बाढ़ विभाग

लेखा शीर्षक-(2701-मुख्य तथा मध्य सिंचाई, 2702-लघु सिंचाई, 2705-कमान क्षेत्र विकास, 2711-बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकास, 4701-मुख्य तथा मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, 4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, 4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय)

प्रस्तावक का नाम

प्रस्ताव का प्रारूप

1. श्री भगत सिंह कोश्यारी
2. श्री प्रकाश पंत
3. श्री अजय भट्ट
4. श्री मातबर सिंह कण्डारी
5. श्री बिशन सिंह चुफाल
6. श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत
7. श्री मदन कौशिक
8. श्री हरभजन सिंह चीमा
9. श्री मालचन्द्र
10. श्री कैलाश शर्मा
11. श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट
12. श्रीमती विजय बड़थवाल
13. श्री गोविन्द लाल शाह
14. श्रीमती आशा नौटियाल
15. श्री काजी निजामुद्दीन
16. श्री काशी सिंह ऐरी
17. श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी
18. श्री नारायण सिंह जंतवाल

सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना